सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2016/00019

अनवान

1. श्री जितेन्द्र सिंह पिता ललन सिंह राठौड, निवासी हाल ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मगनलाल पिता पेमजी कलाल, निवासी परसाद, तहसील सराडा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती सविता पत्नि मगनलाल कलाल, निवासी परसाद, तहसील सराडा, जिला उदयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 31-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा भाउवा, तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 136 रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः श्री मगनलाल पिता पेमजी कलाल एवं श्रीमती सविता पत्नि मगनलाल द्वारा अपने आप को भील जाति का बताकर प्रार्थना पत्र भरा, जबकि आवंटीगण स्वर्ण जाति के होकर कलाल है एवं व्यापारी होते हुये भी स्वयं को मीणा एवं भूमिहीन काश्तकार दर्शाते हुये उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का से मिली भगत कर गलत रिपोर्ट तैयार कर आवंटन कमेटी के समक्ष उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 07.01.2011 को मिसरिप्रजेन्टेशन से स्वयं के नाम पर करवा लिया, जबकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा कभी काश्त नही की गयी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का क्रेशर गिट्टी बनाने का प्लान्ट लगा हुआ है। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी न होने एवं तामिल न होने से कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 7 की अवहेलना की गयी है। विपक्षीगण व्यापारी हो परसाद का निवासी है। उक्त सारे तथ्यों को छिपाते हुये विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा नियमों के विपरित उक्त आवंटन कराया गया है। विपक्षीगण को आंवटित उक्त भूमि पथरीली एवं मगरी होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा कभी काश्त नही की गयी है। आवंटन के

पश्चात् मूल आराजी नम्बर 136 के नये नम्बर 2521/136 बने है, जिसका नुमाईश विक्रय 7,00,000/–रूपये में विपक्षीगण द्वारा श्री किशनलाल सुथार को कर दिया गया एवं मौके पर आज दिनांक तक क्रेता को भी कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एंव नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार होकर कृषि पर ही उनकी अजीविका निर्भर रही है। मानवीय चुक को गलत आधार बनाकर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विपक्षीगण को फॉर्म भरना भी नही आता है। तहसील में कार्यरत किसी लिपिक से फोर्म भरवाने पर उसके द्वारा सहवन से प्रार्थी की जाति कलाल के स्थान पर मीणा अंकित कर दी है। किसी भी काश्तकार के पास अचल सम्पत्ति होने से उसे व्यापारी नही माना जा सकता है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा होने का कथन असत्य है। विवादित आराजी पर प्रार्थी द्वारा लगाया गया क्रेशर गिट्टी का प्लान्ट विपक्षीगण की सहमति से लगा हुआ है। प्रार्थी को उक्त भूमि विपक्षीगण द्वारा किराये पर दी हुयी है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर उक्त भूमि कम कीमत पर बेचने का दवाब बनाने पर विपक्षीगण द्वारा मना कर दिये जाने से प्रार्थी द्वारा उक्त गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उसके खाते में अंकित भूमि का विवरण नही छुपाया गया है एवं स्पष्ट विवरण अंकित किया गया है एवं अंकित विवरण में वर्णित जमाबन्दी के ब्योरे में विपक्षी संख्या 1 व 2 को कलाल ही बताया है। लिपिकीय भूल के पश्चात् प्रपत्रों में भी सुधार कर लिया गया, जैसा कि कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव द्वारा जारी सनद में विपक्षीगण की जाति कलाल ही अंकित की गई है। ऐसा कोई प्रावधान नही है कि कलाल जाति के व्यक्ति को भूमिहीन काश्तकार नही माना जायेगा अथवा उसे भूमि का आंवटन न हो सकता हो। उक्त आवंटन में भी जाति छुपाने जैसा कोई प्रयोजन नही था। इसी भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन से पूर्व नाजायज कब्जा चला आ रहा था। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही कर एक प्रकरण संख्या 424/2007 में दिनांक 26.08.2008 को नाजायज हटाया जिसका उल्लेख तहसील के रजिस्टर में है। आवंटन से पूर्व नियमानुसार प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है एवं ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड की सूची जारी की गयी है। आवंटन के बाद विपक्षीगण की जमीन किराये पर लेकर बाद में लगाये गये क्रेशर के आधार पर प्रार्थी अपना पुराना कब्जा प्लीड करने का अधिकारी नही है। आवंटन के पश्चात नियमानुसार मौका पर्चा बनाकर मौताबिरान की उपस्थिति में नियमानुसार आवंटित भूमि का विपक्षी को कब्जा सुपुर्द किया गया है। आवंटन

नियमों में आवंटन के पश्चात काश्त करने की बाध्यता से छुट मिल चुकी है। खातेदारी मिलने के उपरान्त एक वैध एवं नियमानुकुल आवंटन को खारिज नही किया जा सकता है। विपक्षीगण भूमिहीन की श्रेणी में आने से उसे उक्त आवंटन किया गया है। परसाद में विपक्षीगण पैतृक सम्पत्ति स्थित होने से उसके द्वारा वह मकान बनाया गया है। धोखे एवं कपट से आवंटन कराने का कथन गलत है। इसके अतिरिक्त यदि विपक्षीगण को कोई तथ्य छुपाना होता तो वह आवेदन पत्र में पूर्व में उपलब्ध भूमि की जानकारी अंकित ही नही करता। प्रार्थी इस प्रकरण में aggrieved person नही है और उसके द्वारा लाया गया आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विपक्षीगण को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने से विधि अनुसार पोषणीय नही है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जबाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा पुनः जवाब पेश किया।

प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 79 दिनांक 17.02.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा भाउवा, तहसील ऋषभदेव की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 वर्तमान आराजी संख्या 2521/136 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि श्री किशनलाल पिता लक्ष्मीचन्द सुथार निवासी ऋषभदेव के खाते दर्ज है। मौके पर जितेन्द्र सिंह पिता ललन सिंह राठौड का गिट्टी क्रेशर मशीन लगी होकर चालु है। एक 20X15 वर्गफीट का कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ है, जिसके एक कमरे में इलेक्ट्रीक पेनल लगा होकर दुसरे कमरे का आवास हेतु उपयोग हो रहा है, शेष भूमि पर गिट्टी एवं कच्चा माल पडा हुआ है। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 471/2011 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, तहसीलदार की रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होना, आवंटन में मिसप्रजेन्टेशन होना, आवंटी द्वारा स्वयं को कलाल के स्थान पर मीणा दर्शाना, आवंटी का परसाद का निवासी होना, आवंटन शर्तो की पालना न करना, भूमि किराये पर देने सम्बन्धी किराया चिट्ठी आवंटी के पास न होना, भूमि माईनिंग की होना, आदि आधारों पर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.टी. 2009 (1) पृष्ठ 64
- आर.आर.टी. 2009 (2) पृष्ठ 1220
- आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 1

- आर.बी.जे. 2014 (21) पृष्ठ 120
- आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 589
- आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 21
- आर.आर.डी. 2001 पृष्ठ 465
- आर.आर.डी. 1982 (2) पृष्ठ 237
- आर.बी.जे. 2006 पृष्ठ 272
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1048
- आर.आर.डी. 1993 पृष्ठ 485

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षीगण का पुराना कब्जा होना, आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना, आवंटी का भूमिहीन होना, कलाल के स्थान पर मीणा का अंकन लिपिकीय त्रुटि होना, पूर्व में उपलब्ध भूमि का आवदेन में उल्लेख किया जाना, विपक्षीगण के पास धारा 91 का नोटिस होना, प्रोक्लेमेशन जारी होना, किसी भी आवंटन नियम का उल्लघंन न होना, आवंटन पश्चात् काश्त की बाध्यता खत्म होना, आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना, मीणा जाति का कोई लाभ नही लेना, प्रार्थी के पास आवंटन से पूर्व के कोई दस्तावेज न होना आदि आधारों पर विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवंटन नियमानुकुल होने से बहाल रखे जाने की मांग की। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

- आर.आर.टी. 2012 (1) पृष्ठ 652
- आर.आर.डी. 1993 पृष्ठ 800
- आर.आर.डी. 1994 पृष्ठ 381
- आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ 157
- आर.आर.टी. 2019 (2) पृष्ठ 838
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1194
- आर.आर.टी. 2003 (2) पृष्ठ 921
- आर.आर.टी. 2006 (1) पृष्ठ 424

विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोरान राजस्व ग्राम धुलेव की मगनलाल पिता पेमजी कलाल के नाम अंकित भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2068—71 की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 343, धारा 91 के नाजायज कब्जे की फर्द किराया ईकरार आदि की प्रति प्रस्तुत की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद मौजा धुलेव की साबिक आराजी संख्या 136 का है जिसके हाल आराजी संख्या 2521/136 है, जिसके

सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा स्वयं को कलाल के स्थान पर मीणा बताये जाने एवं उपरोक्तानुसार तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु निवेदन किया है। आवंटन पत्रावली संख्या 471/2011 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी द्वारा मौजा धुलेव, तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 136 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त आवंटन कमेटी के कोरम में लिये गये निर्णय के आधार पर विपक्षीगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, विधायक, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं की जाति कलाल के स्थान पर मीणा होने का उल्लेख हुआ है, किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 में स्वयं के नाम पूर्व में 1.32 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होने के तथ्य को नही छुपाया गया है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 1.32 हेक्टेयर भूमि की जमाबन्दी की नकलो के आधार पर यह ज्ञात होता है कि उक्त जमाबन्दी में आवंटी की जाति कलाल ही दर्शायी गयी है एवं यदि आवंटी को अपनी जाति छुपाकर आवंटन कराना होता, तो वह पूर्व में उपलब्ध भूमि का उल्लेख अपने आवंटन हेतु अपने आवेदन पत्र में नही करता। इस प्रकार मामले में विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तथ्य स्वीकार्य योग्य पाया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र में कलाल के स्थान पर मीणा किसी लिपिकीय त्रुटि अथवा सहवन से अंकित हुआ हो। यदि उक्त आवंटन मात्र मीणा या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये ही किया जाता तो अवश्य ही इसे मिसरिप्रजेन्टेशन माना जा सकता था, किन्तु उक्त आवंटन आवेदन पत्र में त्रुटिवश मीणा लिख दिये जाने से उक्त आवंटन पर कोई प्रभाव नही पड़ा है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव द्वारा जारी आवंटन आदेश में एवं कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में विपक्षीगण की जाति कलाल होना ही अंकन किया है अर्थात त्रुटि को बाद में सुधार लिया गया है। उक्त आवंटन में कोरम पूर्ण है। आवंटन के पश्चात विपक्षीगण को उक्त आंवटित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही देय होते है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण के पास धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी नाजायज कब्जे की रिपोर्ट भी मौजूद है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्यायसंगत नही है। यदि विवादित आराजीयात के आवंटन से पूर्व प्रार्थी का भूमि पर कब्जा होता तो अवश्य ही उसके पास नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस उपलब्ध होते। प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता आवंटन से पूर्व के कोई दस्तावेज प्रार्थी के पक्ष में प्रस्तुत करने में असफल रहे है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किराया चिट्ठी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटी द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी को किराये पर दी गयी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का श्री किशनचन्द पिता श्री लक्ष्मीचन्द सुथार को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 14.06.2016 को विक्रय कर देना प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया गया है। ऐसी स्थिति में क्रेता श्री किशनचन्द पिता श्री लक्ष्मीचन्द सुथार का

प्रकरण में हित निहित होने से क्रेता को पक्षकार बनाया गया आवश्यक था, किन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा क्रेता को पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार समग्र विवेचन उपरान्त उक्त आवंटन को मात्र मानवीय/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर फ्रॉड आवंटन की श्रेणी में नही रखा जा सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर मौजा धुलेव, तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 136 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा जरिये मिसल नम्बर 471/2011 से दिनांक 07.01.2011 को किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर